संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./सेल–4/2017/ 731 भोपाल, दिनांक 15/5/2017

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
म.प्र.

विषयः–आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर एवं उच्च गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध कराने एवं अस्पताल प्रशासन से संबंधित समस्त विषयों की क्षेत्रीय स्तर से सतत समीक्षा करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि क्षेत्रीय संचालक कार्यालय स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय संचालक अपने कार्य क्षेत्र में स्थित समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में विभाग की नीति के अनुरूप उच्च स्तर एवं उच्च गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार होंगे एवं इस हेतु इससे संबंधित समस्त विषयों की क्षेत्रीय स्तर पर सतत समीक्षा करेगें। विभाग द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सालयों में उनकी आकस्मिक ड्यूटी, वर्क परफोमेन्स, साफ सफाई, सुरक्षा, बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन, उपकरणों की उपलब्धता आदि के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। संभागीय संचालक होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके संभाग के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में विभाग की समस्त गतिविधियों की सतत् समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों में आ रहे समस्त रोगियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवायें शासन की नीति व मापदंडों के अनुसार उपलब्ध हो रहीं हैं। आपके संभाग से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त एवं संकलित कर संचालनालय में भेजने का दायित्व भी आपके कार्यालय का है।

2/विभाग के चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए उच्च स्तर की साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की समय पर उपस्थिति, रोगियों के साथ मधुर एवं संवेदनशील व्यवहार, रोगियों को निःशुल्क उपचार व जांच सुविधा उपलब्ध कराना, औषधियों की सतत् उपलब्धता एवं उपकरणों को क्रियाशील बनाये रखते हुए रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं। यह आपके कार्यालय की जिम्मेदारी है, कि आपके क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में विभाग की नीति एवं मापदंडो के अनुरूप उच्च स्तर एवं उच्च गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध रहें। इसके लिये यह आवश्यक है कि आपके क्षेत्र के सभी जिलों में आपके द्वारा नियमित रुप से चिकित्सालयों का भ्रमण किया जाये एवं सभी सेवाओं की आपके स्तर से सतत् रुप से मॉनिटरिंग की जाये।

3/चिकित्सालयों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, मुख्यालय पर निवास, समय पर चिकित्सालय में उपस्थिति, रोगियों व उनके परिजनों के साथ मधुर व्यवहार हेतु सतत् प्रयास करें एवं आकस्मिक निरीक्षण कर इसे सुनिश्चित करें।

4/चिकित्सालयों में पदस्थ समस्त विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों द्वारा पूरी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य किया जा रहा है इसकी भी सतत् मॉनीटरिंग आवश्यक है। विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के द्वारा ओ. पी.डी, आई.पी.डी व अन्य कार्य के लिये मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो दिनांक 1/3/2013 को जारी किये गये थे। समस्त विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के लिये यह अनिवार्य है कि उनके द्वारा ओ.पी.डी एवं आई.पी.डी देखे गये रोगियों एवं किये गये अन्य कार्य का रिकॉर्ड संधारित करे एवं प्रतिमाह किये गये कार्य की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को प्रस्तुत करें। चिकित्सकों की वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट के आधार पर ही उनके सी.आर की श्रेणी, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान आदि दिये जायेंगे। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके संभाग के सभी चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा उनके द्वारा किये गये कार्य

का रिकॉर्ड संधारित कर प्रतिमाह वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन्स द्वारा उनकी स्थापना के समस्त चिकित्सकों की वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट आपको एवं संचालनालय को प्रेषित की जाये एवं चिकित्सकों की सी.आर. भरते समय उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार श्रेणी दी जाये।

5/यह पाया गया है, कि कई जिलों में साफ सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था में मापदंडों का पालन नहीं किया गया है, या संचालनालय द्वारा प्रेषित टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको निर्देश दिये गये थे कि आपके संभाग के सभी जिलों में साफ सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त व्यवस्थाऐं निर्देशों के अनुसार की जा रही है एवं चयनित एजेन्सी को नियमानुसार व समय पर भुगतान किया जा रहा है। अपर संचालक, वित्त एवं मेरे द्वारा यह निर्देश दिये गये थे, कि एजेन्सी के गतवर्ष व इस वर्ष के लंबित देयकों का परीक्षण कर, कमी पाये जाने पर पेनेल्टी लगाते हुए नियमानुसार देय राशि का भुगतान करायें एवं इसकी एक संकलित रिपोर्ट अपर संचालक, वित्त व मुझे प्रस्तुत करें। अत्यंत खेद का विषय है, कि अभी भी ग्वालियर संभाग से उपरोक्त मदों में देयकों का परीक्षण कर पाई गयी कमियां, लगाई गई पेनाल्टी, भुगतान की गई राशि एवं लंबित देय राशि की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आपके संभाग के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर की साफ सफाई व्यवस्था की सतत् मॉनिटरिंग करना आपके कार्यालय का मुख्य दायित्व है। कृपया इसकी सतत् मॉनिटरिंग करें एवं यह सुनिश्चित करें कि आपके संभाग के समस्त जिलों में विभाग द्वारा जारी मापदंडों एवं निर्देशों के अनुसार साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था लागू हो। आपके व आपके अधिकारियों द्वारा जिलों में भ्रमण के दौरान इसकी सतत् मॉनिटरिंग की जाये एवं यह देखा जाये की रोस्टर के अनुसार सफाई एवं सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं तथा चिकित्सालयों में टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की शर्तो के अनुसार उच्च गुणवत्ता की प्रतिष्ठित कम्पनियों की सामग्री प्रदाय की जा रही है एवं उच्च स्तर की सफाई व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। एजेन्सी द्वारा रखे गये कर्मचारियों को एजेन्सी द्वारा समय पर निर्धारित दर पर ई–पेमेन्ट द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है एवं उनके ई.पी.एफ व ई.एस.आई.सी एकाउंट में जमा कराया जा रहा है। यदि किसी जिले में कोई अनियमितता पायी जाती है तो उस पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करें।

6/अस्पताल प्रशासन शाखा की अन्य गतिविधियों जैसे साफ–सफाई, सुरक्षा, उपकरणों की स्थिति, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, चादर, कम्बल, फर्नीचर व अन्य सामग्री की उपलब्धता व आवश्यकता आदि से संबंधित जानकारियां निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। सुलभ संदर्भ के लिये पत्र की प्रति पुनः संलग्न है। उपरोक्त जानकारी आपके द्वारा जिलों से प्राप्त कर संकलित कर उपलब्ध कराई जाना थी। अधिकांश संभागों से जानकारी आधी अधूरी व अपूर्ण प्राप्त हुई है। आपके संभाग के समस्त जिलों में उपरोक्त गतिविधियां मापदंडों एवं नियमों के अनुसार संपन्न हों एवं लिनन, फर्नीचर, अन्य सामाग्री एवं उपकरण आदि की मापदंडों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। अस्पताल प्रशासन शाखा द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन'स से उनकी स्थापना की संबंधित मुख्य बिन्दुओंकी नियमित रूप से जानकारी प्राप्त कर इसकी अपने स्तर से सतत समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त समस्त गतिविधियां विभाग के मापदण्डों एवं नियमानुसार सम्पन्न की जा रही है। यह सुनिश्चित करें कि आपके संभाग के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालयों व अन्य चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सक व अन्य स्टाफ समय पर उपस्थित है व चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क उपचार, जांच व अन्य सुविधायें उपलब्ध हो रही है। सभी संस्थाओं में उपकरण क्रियाशील है एवं उनके संचालन के लिये आवश्यक चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है एवं रोगियों को जांच व उपचार सुविधा उपलब्ध हो रही है। यदि किसी स्थान पर मशीन के संचालन के लिये आवश्यक स्टाफ पदस्थ नहीं है तो नजदीकी संस्था से वैकल्पिक व्यवस्था की जायें तथा स्थापना शाखा से रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास करें।

संस्थाओं में सभी आवश्यक उपकरण व फर्नीचर विभाग के मापदण्डों के अनुसार रहें। यदि किसी संस्था में इनकी कमी है तो कमी का आंकलन कर नियमानुसार उनके उपार्जन हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दें।

7/विभाग द्वारा जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस इकाईयां स्थापित की गई है। इसमें चयनित एजेन्सी द्वारा डायलिसिस तकनीशियन एवं नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवायें उपलब्ध कराई गयी है, जिनके माध्यम से रोगियों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इकाई में सतत् रुप से तकनीशियन व नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवायें उपलब्ध कराने, मशीन/आर.ओ प्लांट से संबंधित कन्ज्यूमेबल व डिस्इन्फेक्टेंट व आर.ओ तथा डायलिसिस मशीन को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी चयनित एजेन्सी की है। कुछ जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है, कि संबंधित सिविल सर्जन व इकाई के नोडल अधिकारी द्वारा डायलिसिस इकाईयों का नियमित रुप से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है अथवा इकाई में विसंक्रमण के मापदंडों का सख्ती पूर्वक पालन नहीं कराया जा रहा है। संभाग के क्षेत्रीय संचालक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रतिष्ठित योजना की सतत् मॉनिटरिंग करें एवं स्वयं व अपने अधिकारियों के माध्यम से एडवांस टूर प्रोग्राम बनाकर प्रतिमाह प्रत्येक जिले की इकाई का निरीक्षण करवायें एवं यह सुनिश्चित करें कि इन इकाईयों में उच्च स्तर की सेवायें प्रदान की जा रही है।

8/चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध उपकरणों को क्रियाशील रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा एक एजेन्सी ऐम हेल्थ केयर का चयन किया गया है, जिसके इंजीनियर्स/कर्मचारियों द्वारा जिलों में चिकित्सालयों का भ्रमण कर उपकरणों की मेपिंग, बार – कोडिंग व उनके सुधारने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबधं में निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। इस संबंध में जिला स्तर एवं चिकित्सा संस्था स्तर पर टीम के गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला चिकित्सालयों में उपकरणों की इन्वेन्टरी कार्य हेतु जिला चिकित्सालय के आर.एम.ओ., रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एवं आर.एम.ओ की टीम गठित की जाना है। जिला चिकित्सालय के आर.एम.ओ को इस कार्य हेतु नोडल ऑफिसर होंगे। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में निर्देशानुसार टीमों का गठन संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिला चिकित्सालय स्तर के अधिकारियों की टीम के सदस्यों की ओरिऐन्टेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस टीम के द्वारा जिला चिकित्सालय के समस्त उपकरणों की ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई इन्वेन्टरी के उपकरणों, उनकी संख्या एवं क्रय किये जाते समय उसके मूल्य का सत्यापन करने के पश्चात संबंधित सिविल सर्जन द्वारा इन्वेन्टरी का सत्यापन किया जायेगा। इस टीम द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना की चिकित्सा संस्थाओं के लिये गठित टीम के सदस्यों का ओरिऐन्टेशन प्रशिक्षण एवं जिला चिकित्सालय के उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन 10 दिन में किया जाना है। चिकित्सा संस्थाओं की टीम द्वारा ओरियेन्टेशन के उपरांत 7 दिवस में उनकी चिकित्सा संस्था के उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन किया जायेगा एवं बी.एम.ओ के हस्ताक्षर उपरांत संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इन्वेन्टरी का सत्यापन कर रिपोर्ट दे दी जायेगी। सत्यापित इन्वेन्टरी की एक प्रति सिविल सर्जन कार्यालय व एक प्रति क्षेत्रीय संचालक में सुरक्षित रखें एवं एक प्रति संयुक्त संचालक (अ.प्र.) को प्रेषित करें। जिला चिकित्सालय के उपकरणों के रख–रखाव की मॉनिटरिंग हेतु सिविल सर्जन के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के आर.एम.ओ उत्तरदायी होंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना के चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई उपकरणों की इन्वेन्टरी की सूची, उपकरणों की संख्या एवं उनके वास्तविक मूल्य (उपकरण क्रय किये जाते समय के मूल्य) का सत्यापन करने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था में चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक , 1 स्टाफ नर्स, 1 लेब तकनीशियन एवं 1 रेडियोग्राफर की टीम गठित करने के आदेश जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से जारी करावें। चिकित्सा संस्था के प्रभारी चिकित्सक को नोडल ऑफिसर होंगे। जारी किये गये आदेश के संस्थावार समस्त टीम के सदस्यों के नाम अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन उपरोक्त टीम द्वारा की जायेगी एवं टीम के सदस्यों के द्वारा इन्वेन्टरी के उपकरणों, उपकरणों की संख्या एवं उनके वास्तविक मूल्य (उपकरण क्रय किये जाते समय के मूल्य) का सत्यापन किये जाने के उपरांत

(8) कापी

संबंधित विकासखंड के बी.एम.ओ. के सत्यापन के उपरांत इन्वेन्टरी का सत्यापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाये एवं सत्यापित इन्वेन्टरी की एक प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय व क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में सुरक्षित रखें एवं एक प्रति एवं संयुक्त संचालक (अ.प्र.) को प्रेषित करें। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना के चिकित्सालयों के उपकरणों के रख–रखाव की मॉनिटरिंग हेतु संबंधित संस्था के प्रभारी चिकित्सक, विकासखंड के बी.एम.ओ एवं जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे। संभाग के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में उपकरणों की उपलब्धता, क्रियाशीलता एवं रख–रखाव के लिये क्षेत्रीय संचालक उत्तरदायी होंगें।

किसी भी संस्था में उपकरण खराब होने पर इसकी तत्काल ईमेल व दूरभाष पर एजेन्सी के कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज कराई जाये ताकि निर्धारित ऐजेन्सी द्वारा उपकरणों को निर्धारित समय सीमा में ठीक करने की कार्यवाही की जा सके। अपने संभाग में स्थित सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध उपकरणों की सतत् मॉनीटरिंग करें एवं सुनिश्चित करें कि किसी उपकरण के खराब होने पर उपकरण को निर्धारित समय सीमा में सुधरवा लिया जाये।

9/विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मानव अधिकार आयोग आदि के समस्त प्रकरणों की अपने स्तर से सतत् मॉनीटरिंग करें एवं इनके उत्तर एवं प्रकरणों पर कार्यवाही समय सीमा में प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट संचालनालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

10/संभाग के समस्त जिलों की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं। ऐसी संस्थाओं जिनका उन्नयन किया गया है अथवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नये बनाये गये हैं उनमें रोगी कल्याण समितियां नियमानुसार गठित किया जाना सुनिश्चित करें एवं संभागीय कार्यालय से इसकी नियमित समीक्षा करें कि सभी स्तर की रोगी कल्याण समितियों की सामान्य सभा व कार्यकारी सभा की नियमित बैठकें समय पर आयोजित की जायें एवं उनके मिनिट्स संधारित किये जायें। निर्देशानुसार संभाग के सभी जिलों में सभी रोगी कल्याण समितियों का स्थानीय निधी संपरीक्षा विभाग से ऑडिट कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आपके संभाग के समस्त जिलों की अस्पताल प्रशासन शाखा से संबंधित समस्त बिंदुओं पर प्रतिमाह रिपोर्ट 5 तारीख के पूर्व नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
म.प्र,भोपाल

पृ.क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–4/2017/ **भोपाल, दिनांक / /2017**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.एच.एम, अरेरा हिल्स, भोपाल।

//

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
म.प्र,भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/अ.प्र./सेल–4/2017/ 733 भोपाल, दिनांक 15/5/2017

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
म.प्र.

विषयः–आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर एवं उच्च गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध कराने एवं अस्पताल प्रशासन से संबंधित समस्त विषयों की सतत् समीक्षा करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होने के नाते यह आपका दायित्व है कि आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों में विभाग की नीति व मापदंडों के अनुसार सेवायें उपलब्ध कराई जायें। विभाग द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सालयों में उनकी आकस्मिक ड्यूटी, वर्क परफोर्मेन्स, साफ सफाई, सुरक्षा, बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन, उपकरणों की उपलब्धता आदि के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में विभाग की समस्त गतिविधियों की सतत् समीक्षा करें एवं यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सालयों में आ रहे समस्त रोगियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवायें शासन की नीति व मापदंडों के अनुसार उपलब्ध हो रहीं हैं। आपकी स्थापना से संबंधित समस्त जानकारियां समय पर संचालनालय में भेजने का दायित्व भी आपके कार्यालय का है।

2/विभाग के चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए उच्च स्तर की साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की समय पर उपस्थिति, रोगियों के साथ मधुर एवं संवेदनशील व्यवहार, रोगियों को निःशुल्क उपचार व जांच सुविधा उपलब्ध कराना, औषधियों की सतत् उपलब्धता एवं उपकरणों को क्रियाशील बनाये रखते हुए रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं। यह आपके कार्यालय की जिम्मेदारी है, कि आपके क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में विभाग की नीति एवं मापदंडो के अनुरूप उच्च स्तर एवं उच्च गुणवत्ता की सेवायें उपलब्ध रहें। इसके लिये यह आवश्यक है कि आपके कार्य क्षेत्र में स्थित सभी संस्थाओं में आपके द्वारा नियमित रुप से चिकित्सालयों का भ्रमण किया जाये एवं सभी सेवाओं की आपके स्तर से सतत् रुप से मॉनिटरिंग की जाये।

3/चिकित्सालयों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, मुख्यालय पर निवास, समय पर चिकित्सालय में उपस्थिति, रोगियों व उनके परिजनों के साथ मधुर व्यवहार हेतु सतत् प्रयास करें एवं आकस्मिक निरीक्षण कर इसे सुनिश्चित करें।

4/चिकित्सालयों में पदस्थ समस्त विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों द्वारा पूरी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य किया जा रहा है इसकी भी सतत् मॉनीटरिंग आवश्यक है। विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के द्वारा ओ.पी.डी, आई.पी.डी व अन्य कार्य के लिये मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो दिनांक 1/3/2013 को जारी किये गये थे। समस्त विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के लिये यह अनिवार्य है कि उनके द्वारा ओ.पी.डी एवं आई.पी.डी देखे गये

रोगियों एवं किये गये अन्य कार्य का रिकॉर्ड संधारित करे एवं प्रतिमाह किये गये कार्य की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को प्रस्तुत करें। चिकित्सकों की वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट के आधार पर ही उनके सी.आर की श्रेणी, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान आदि दिये जायेंगे। कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा उनके द्वारा किये गये कार्य का रिकॉर्ड संधारित कर प्रतिमाह वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन्स द्वारा उनकी स्थापना के समस्त चिकित्सकों की वर्क परफार्मेन्स रिपोर्ट संचालनालय को प्रेषित की जाये एवं चिकित्सकों की सी.आर. भरते समय उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार श्रेणी दी जायें।

5/यह पाया गया है, कि कई जिलों में साफ सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था में मापदंडों का पालन नहीं किया गया है, या संचालनालय द्वारा प्रेषित टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।

आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उच्च स्तर की साफ सफाई व्यवस्था की सतत् मॉनिटरिंग करना आपका मुख्य दायित्व है। कृपया इसकी सतत् मॉनिटरिंग करें एवं यह सुनिश्चित करें कि विभाग द्वारा जारी मापदंडों एवं निर्देशों के अनुसार साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था लागू हो। आपके व आपके अधिकारियों द्वारा जिलों में भ्रमण के दौरान इसकी सतत् मॉनिटरिंग की जाये एवं यह देखा जाये की रोस्टर के अनुसार सफाई एवं सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं तथा चिकित्सालयों में टेण्डर डॉक्यूमेन्ट की शर्तो के अनुसार उच्च गुणवत्ता की प्रतिष्ठित कम्पनियों की सामग्री प्रदाय की जा रही है एवं उच्च स्तर की सफाई व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है। एजेन्सी द्वारा रखे गये कर्मचारियों को एजेन्सी द्वारा समय पर निर्धारित दर पर ई–पेमेन्ट द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है एवं उनके ई.पी.एफ व ई.एस.आई.सी एकाउंट में जमा कराया जा रहा है। यदि किसी संस्था में कोई अनियमितता पायी जाती है तो उस पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करें।

6/अस्पताल प्रशासन शाखा की अन्य गतिविधियों जैसे साफ–सफाई, सुरक्षा, उपकरणों की स्थिति, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन, चादर, कम्बल, फर्नीचर व अन्य सामग्री की उपलब्धता व आवश्यकता आदि से संबंधित जानकारियां निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। सुलभ संदर्भ के लिये पत्र की प्रति पुनः संलग्न है। उपरोक्त जानकारी संकलित कर उसकी समीक्षा करें एवं आवश्यकतानुसार नियमों का पालन करते हुये उपार्जन करें। आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों में उपरोक्त गतिविधियां मापदंडों एवं नियमों के अनुसार संपन्न हों एवं लिनन, फर्नीचर, अन्य सामाग्री एवं उपकरण आदि की मापदंडों के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है।

यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले के जिला चिकित्सालयं व अन्य चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सक व अन्य स्टाफ समय पर उपस्थित है व चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क उपचार, जांच व अन्य सुविधायें उपलब्ध हो रही है। सभी संस्थाओं में उपकरण क्रियाशील है एवं उनके संचालन के लिये आवश्यक चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है एवं रोगियों को जांच व उपचार सुविधा उपलब्ध हो रही है। यदि किसी स्थान पर मशीन के संचालन के लिये आवश्यक स्टाफ पदस्थ नहीं है तो नजदीकी संस्था से वैकल्पिक व्यवस्था की जायें तथा स्थापना शाखा से रिक्त पदों को भरने हेतु प्रयास करें।

संस्थाओं में सभी आवश्यक उपकरण व फर्नीचर विभाग के मापदण्डों के अनुसार रहें। यदि किसी संस्था में इनकी कमी है तो कमी का आंकलन कर नियमानुसार उनका उपार्जन करें।

7/विभाग द्वारा जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस इकाईयां स्थापित की गई है। इसमें चयनित एजेन्सी द्वारा डायलिसिस तकनीशियन एवं नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवायें उपलब्ध कराई गयी है, जिनके माध्यम से रोगियों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इकाई में सतत् रुप से तकनीशियन व नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवायें उपलब्ध कराने,

मशीन/आर.ओ प्लांट से संबंधित कन्ज्यूमेबल व डिस्इन्फेक्टेंट व आर.ओ तथा डायलिसिस मशीन को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी चयनित एजेन्सी की है। कुछ जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है, कि संबंधित सिविल सर्जन व इकाई के नोडल अधिकारी द्वारा डायलिसिस इकाईयों का नियमित रुप से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है अथवा इकाई में विसंक्रमण के मापदंडों का सख्ती पूर्वक पालन नहीं कराया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन होने के नाते यह आपका कर्तव्य है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रतिष्ठित योजना की सतत् मॉनिटरिंग करें एवं यह सुनिश्चित करें कि इन इकाईयों में उच्च स्तर की सेवायें प्रदान की जा रही है एवं उपलब्ध डायलिसिस मशीनों का पूर्ण सदुपयोग हो रहा है।

8/चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध उपकरणों को क्रियाशील रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विभाग द्वारा एक एजेन्सी ऐम हेल्थ केयर का चयन किया गया है, जिसके इंजीनियर्स/कर्मचारियों द्वारा जिलों में चिकित्सालयों का भ्रमण कर उपकरणों की मेपिंग, बार – कोडिंग व उनके सुधारने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। इस संबंध में जिला स्तर एवं चिकित्सा संस्था स्तर पर टीम के गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला चिकित्सालयों में उपकरणों की इन्वेन्टरी कार्य हेतु जिला चिकित्सालय के आर.एम.ओ., रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एवं आर.एम.ओ की टीम गठित की जाना है। जिला चिकित्सालय के आर.एम. ओ को इस कार्य हेतु नोडल ऑफिसर होंगे। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में निर्देशानुसार टीमों का गठन संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिला चिकित्सालय स्तर के अधिकारियों की टीम के सदस्यों की ओरिऐन्टेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस टीम के द्वारा जिला चिकित्सालय के समस्त उपकरणों की ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई इन्वेन्टरी के उपकरणों, उनकी संख्या एवं क्रय किये जाते समय उसके मूल्य का सत्यापन करने के पश्चात संबंधित सिविल सर्जन द्वारा इन्वेन्टरी का सत्यापन किया जायेगा। इस टीम द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना की चिकित्सा संस्थाओं के लिये गठित टीम के सदस्यों का ओरिऐन्टेशन प्रशिक्षण एवं जिला चिकित्सालय के उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन 10 दिन में किया जाना है। चिकित्सा संस्थाओं की टीम द्वारा ओरियेन्टेशन के उपरांत 7 दिवस में उनकी चिकित्सा संस्था के उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन किया जायेगा एवं बी.एम.ओ के हस्ताक्षर उपरांत संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इन्वेन्टरी का सत्यापन कर रिपोर्ट दे दी जायेगी। सत्यापित इन्वेन्टरी की एक प्रति सिविल सर्जन कार्यालय व एक प्रति क्षेत्रीय संचालक में सुरक्षित रखें एवं एक प्रति संयुक्त संचालक (अ.प्र.) को प्रेषित करें। जिला चिकित्सालय के उपकरणों के रख–रखाव की मॉनिटरिंग हेतु सिविल सर्जन के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के आर.एम. ओ उत्तरदायी होंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना के चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई उपकरणों की इन्वेन्टरी की सूची, उपकरणों की संख्या एवं उनके वास्तविक मूल्य (उपकरण क्रय किये जाते समय के मूल्य) का सत्यापन करने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय/चिकित्सा संस्था में चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक , 1 स्टाफ नर्स, 1 लेब तकनीशियन एवं 1 रेडियोग्राफर की टीम गठित करने के आदेश जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से जारी करावें। चिकित्सा संस्था के प्रभारी चिकित्सक को नोडल ऑफिसर होंगे। जारी किये गये आदेश के संस्थावार समस्त टीम के सदस्यों के नाम अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गई उपकरणों की इन्वेन्टरी का सत्यापन उपरोक्त टीम द्वारा की जायेगी एवं टीम के सदस्यों के द्वारा इन्वेन्टरी के उपकरणों, उपकरणों की संख्या एवं उनके वास्तविक मूल्य (उपकरण क्रय किये जाते समय के मूल्य) का सत्यापन किये जाने के उपरांत संबंधित विकासखंड के बी.एम.ओ. के सत्यापन के उपरांत इन्वेन्टरी का सत्यापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाये एवं सत्यापित इन्वेन्टरी की एक प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

कार्यालय व क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में सुरक्षित रखें एवं एक प्रति एवं संयुक्त संचालक (अ.प्र.) को प्रेषित करें। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना के चिकित्सालयों के उपकरणों के रख–रखाव की मॉनिटरिंग हेतु संबंधित संस्था के प्रभारी चिकित्सक, विकासखंड के बी.एम.ओ एवं जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

किसी भी संस्था में उपकरण खराब होने पर इसकी तत्काल ईमेल व दूरभाष पर एजेन्सी के कॉल सेन्टर पर शिकायत दर्ज कराई जाये ताकि निर्धारित ऐजेन्सी द्वारा उपकरणों को निर्धारित समय सीमा में ठीक करने की कार्यवाही की जा सके। सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध उपकरणों की सतत् मॉनीटरिंग करें एवं सुनिश्चित करें कि किसी उपकरण के खराब होने पर उपकरण को निर्धारित समय सीमा में सुधरवा लिया जाये।

9/ विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मानव अधिकार आयोग आदि के समस्त प्रकरणों की अपने स्तर से सतत् मॉनीटरिंग करें एवं इनके उत्तर एवं प्रकरणों पर कार्यवाही समय सीमा में प्राप्त कर संकलित रिपोर्ट संचालनालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

10/ जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं। ऐसी संस्थाओं जिनका उन्नयन किया गया है अथवा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नये बनाये गये हैं उनमें रोगी कल्याण समितियां नियमानुसार गठित किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी नियमित समीक्षा करें कि सभी स्तर की रोगी कल्याण समितियों की सामान्य सभा व कार्यकारी सभा की नियमित बैठकें समय पर आयोजित की जायें एवं उनके मिनिट्स संधारित किये जायें। निर्देशानुसार संभाग के सभी जिलों में सभी रोगी कल्याण समितियों का स्थानीय निधी संपरीक्षा विभाग से ऑडिट कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार आपके जिले की अस्पताल प्रशासन शाखा से संबंधित समस्त बिंदुओं पर प्रतिमाह रिपोर्ट 5 तारीख के पूर्व नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
म.प्र,भोपाल

पृ.क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–4/2017/ **भोपाल, दिनांक / /2017**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) संभागीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
म.प्र,भोपाल